



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-09122024-259256
CG-DL-E-09122024-259256

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4887]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 6, 2024/अग्रहायण 15, 1946

No. 4887]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 6, 2024/AGRAHAYANA 15, 1946

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 दिसम्बर, 2024

का.आ. 5282(अ).— जिन्हें केंद्र सरकार पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) की धारा 3, 6 और 25 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित मसौदा नियम जारी करने का प्रस्ताव करती है

सरकार पेपर बोर्ड, कांच, धातु (गैर-लौह धातु आधारित को छोड़कर) पैकेजिंग और सैनिटरी उत्पादों सहित उपभोक्ता द्वारा प्रयोग कर लिया गए कागज के पर्यावरण की दृष्टि से सुदृढ़ प्रबंधन को सुनिश्चित करने के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व शुरू करने और पुनः उपयोग, पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण के माध्यम से चक्रीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित मसौदा नियम प्रस्तुत करने का प्रस्ताव करती है, जिससे आर्थिक गतिविधियों, वृक्षारोपण क्षेत्र में रोजगारों और नवाचारों के लिए नए अवसर पैदा होते हैं;

पैकेजिंग और सैनिटरी उत्पादों संबंधी ईपीआर अपशिष्ट से धन सृजन को बढ़ावा मिलेगा, परिशुद्ध संसाधनों के निष्कर्षण को कम करके संसाधन संरक्षण, सामग्रियों का इष्टतम उपयोग करेगा और साथ ही देश भर में पर्यावरण की गुणवत्ता में सुधार होगा

इसे इससे प्रभावित होने की संभावना वाले आम लोगों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है; तथा यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप अधिसूचना पर भारत के राजपत्र में प्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराए जाने की तिथि से साठ दिन की अवधि की समाप्ति पर या उसके पश्चात विचार किया जाएगा:

प्रारूप अधिसूचना में निहित प्रस्तावों पर आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, तो निर्दिष्ट अवधि के भीतर सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, इंदिरा पर्यावरण भवन, जोर बाग रोड, नई दिल्ली-110003 को या इलेक्ट्रॉनिक रूप से ई-मेल पते पर: sohsmd-mef@gov.in पर प्रेषित किए जा सकते हैं।

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी व्यक्ति से निर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पहले प्राप्त आपत्तियों और सुझावों पर केंद्र सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

मसौदा नियम

अध्याय I

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ:- (1) इन नियमों को मसौदा पर्यावरण संरक्षण (कागज, कांच और धातु एवं सैनिटरी उत्पादों से बने पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व) नियम, 2024 कहा जाएगा;
- (2) वे 01 अप्रैल, 2026 से प्रवृत्त होंगे।
2. अनुप्रयोग.- ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:
 - i. उत्पादक (पी) जो बाजार में कांच, धातु और पेपर बोर्ड सहित कागज से बने किसी भी पैकेजिंग के साथ-साथ सैनिटरी उत्पादों को पेश करता है;
 - ii. आयातक (आई) जो बाजार में कांच, धातु, पेपर बोर्ड सहित कागज से बने किसी भी पैकेजिंग को पेश करता है;
 - iii. ब्रांड मालिक (बीओ) जो कांच, धातु और पेपर बोर्ड सहित कागज से बने किसी भी पैकेजिंग के साथ-साथ सैनिटरी उत्पाद को बाजार में पेश करते हैं;
 - iv. पेपर बोर्ड सहित कागज या कांच या धातु से बने पैकेजिंग और सैनिटरी अपशिष्ट का अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता;
3. परिभाषाएं.- (1) इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,
 - i. "ब्रांड स्वामी" का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति या कंपनी से है जो पंजीकृत ब्रांड लेबल ट्रेड मार्क के तहत कोई वस्तु बेचता है;
 - ii. "प्रयोग अवधि समाप्ति पर निपटान" का अर्थ है पैकेजिंग अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा उत्पादन के लिए करना है और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) या दिशानिर्देशों के अनुसार अन्य उपयोग आदि शामिल हैं।
 - iii. "विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर)" का अर्थ है उत्पाद के प्रयोग की अवधि समाप्त होने पर पर्यावरण की दृष्टि से उचित प्रबंधन के लिए उत्पादक की जिम्मेदारी।
 - iv. "आयातक" - से तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो वाणिज्यिक उपयोग के लिए कांच, धातु और कागज से बने किसी भी पैकेजिंग और सैनिटरी उत्पादों का आयात करता है;
 - v. "अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता" का तात्पर्य पुनर्चक्रणकर्ता और ठोस अपशिष्ट का ऊर्जा (अपशिष्ट से ऊर्जा) के लिए उपयोग करने वाले निकायों से है।

- vi. "उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग से पहले पैकेजिंग अपशिष्ट" से तात्पर्य पैकेजिंग के निर्माण के चरण में अस्वीकृत या परित्यक्त के रूप में उत्पन्न पैकेजिंग अपशिष्ट से है, तथा उत्पाद की पैकेजिंग के दौरान उत्पन्न पैकेजिंग अपशिष्ट से है, जिसमें उत्पाद के अंतिम उपभोक्ता तक पैकेजिंग पहुंचने से पहले अस्वीकृत, परित्यक्त अपशिष्ट भी शामिल है।
- vii. "उपभोक्ता के द्वारा प्रयोग के पश्चात पैकेजिंग अपशिष्ट" से आशय पैकेजिंग अपशिष्ट से है जो अंतिम उपभोक्ता द्वारा पैकेजिंग के इच्छित उपयोग के पूरा हो जाने के बाद उत्पन्न होता है तथा अब इसका उपयोग उसके इच्छित उद्देश्य के लिए नहीं किया जा रहा है।
- viii. "उत्पादक" से तात्पर्य कांच, धातु और कागज से बने पैकेजिंग और सैनिटरी उत्पादों के विनिर्माण में लगे व्यक्तियों से है;
- ix. "पुनर्चक्रणकर्ता" वे निकाय हैं जो पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया में लगे हुए हैं,
- x. "पुनर्चक्रण" का अर्थ है अलग किए गए पैकेजिंग अपशिष्ट को नए में बदलने की प्रक्रिया या नये उत्पाद बनाने के लिए उत्पाद कच्चा माल;
- xi. "सैनिटरी उत्पाद" का अर्थ है डायपर, सैनिटरी टॉवल या नैपकिन से युक्त उत्पाद इनकंटेनेंस शीट;
- xii. "पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग" का अर्थ है कि विनिर्माण प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में शुद्ध सामग्री के बजाय पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग किया जाता है
- xiii. "अपशिष्ट से ऊर्जा" का अर्थ है ऊर्जा उत्पादन के लिए पैकेजिंग अपशिष्ट का उपयोग करना और इसमें सह-प्रसंस्करण (जैसे सीमेंट भट्टों में) शामिल है।

(2) यहां प्रयुक्त शब्द और अभिव्यक्तियां, जो यहां प्रयुक्त किंतु परिभाषित नहीं हैं, किंतु पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 और वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1981, और इसके अंतर्गत अधिसूचित समय-समय पर संशोधित नियमों, में परिभाषित हैं, का वही अर्थ होगा जो संबंधित अधिनियमों और नियमों में उन्हें दिया गया है।

4. उत्तरदायी निकाय.- (1) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक जो उत्तरदायी निकाय-(1) उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक जो बाजार में कोई पैकेजिंग या सैनिटरी उत्पाद लाता है, ऐसी पैकेजिंग या सैनिटरी उत्पादों के संग्रह के लिए जिम्मेदार होगा।

(2) जहां कोई उत्पादक, आयातक या ब्रांड मालिक अपने विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व को पूरा कर देता है/कर देती है, तो वहां यह मान लिया जाएगा कि उसने इस नियम के उपनियम (2) के तहत अपनी जिम्मेदारी का पालन कर लिया है।

(3) ईपीआर दायित्वों और इस अधिसूचना के प्रावधानों के अंतर्गत निम्नलिखित ईकाइयां आएंगी,-

- (i) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (2006 का 27) के तहत परिभाषित सूक्ष्म और लघु उद्यमों को छोड़कर ऐसा कोई उत्पादक (पी) जो बाजार में कांच, धातु और पेपर बोर्ड सहित कागज और सैनिटरी उत्पादों से बनी कोई पैकेजिंग लाता है;
- (ii) ऐसा आयातक (आई) जो बाजार में कांच, धातु और पेपर बोर्ड सहित सैनिटरी उत्पादों से बनी कोई पैकेजिंग लाता है और उसका वार्षिक कारोबार 10 करोड़ रुपये और उससे अधिक है;
- (iii) ऐसे ब्रांड मालिक (बीओ) जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म/मार्केटप्लेस और सुपरमार्केट/खुदरा श्रृंखलाओं सहित बाजार में कांच, धातु और पेपर बोर्ड सहित कागज और सैनिटरी उत्पादों से बनी किसी भी पैकेजिंग लाता है, जिनमें वे

शामिल नहीं है जो सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सूक्ष्म और लघु उद्यम हैं।

(iv) पेपर बोर्ड व कागज या कांच या धातु या सैनिटरी अपशिष्ट से बनी पैकेजिंग के अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता।

(4) यदि किसी निकाय के पास एक से अधिक प्रकार की पैकेजिंग के लिए ईपीआर दायित्व है, तो उस निकाय का एकल पंजीकरण होगा। पंजीकरण इन दिशानिर्देशों के अनुसार सीपीसीबी द्वारा इस उद्देश्य के लिए निर्धारित एसओपी के अनुसार होगा।

5. ईपीआर का कवरेज.- (1) ईपीआर के अंतर्गत निम्नलिखित आते हैं:

i. कागज से बनी पैकेजिंग

ii. कांच से बनी पैकेजिंग

iii. परिसंकटमय अपशिष्ट और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और सीमापार संचलन) नियम, 2016 के अंतर्गत शामिल की गई धातु पैकेजिंग, गैर-लौह धातु आधारित पैकेजिंग को छोड़कर,

iv. स्वच्छता उत्पाद

(2) प्लास्टिक से बनी पैकेजिंग अपशिष्ट को समय-समय पर संशोधित प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016 के अनुसार नियंत्रित और प्रबंधित किया जाएगा।

(3) कागज, कांच और धातु से बनी पैकेजिंग संबंधी ईपीआर में निम्नलिखित कारोबार आते हैं:

I. पुनर्चक्रण

II. पुनर्चक्रित सामग्री का उपयोग

III. प्रयोग अवधि की समाप्ति पर निपटान

6. पंजीकरण.- (1) निम्नलिखित निकाय ईपीआर के केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकरण कराएंगे:

I. कागज या कांच या धातु या सैनिटरी उत्पादों से बनी पैकेजिंग का उत्पादक (पी);

II. कागज या कांच या धातु या सैनिटरी उत्पादों से बनी पैकेजिंग का आयातक (आई);

III. कागज या कांच या धातु या सैनिटरी उत्पादों से बनी पैकेजिंग का ब्रांड मालिक (बीओ);

IV. कागज या कांच या धातु और सैनिटरी अपशिष्ट से बनी पैकेजिंग का अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता

(2) उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों (पीआईबीओ) (एक या दो राज्यों में कार्य करने वाले) और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं का पंजीकरण एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(3) पीआईबीओ (दो से अधिक राज्यों में कार्यरत) का पंजीकरण सीपीसीबी द्वारा केंद्रीकृत ईपीआर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

(4) किसी विशेष वर्ष में अपना व्यवसाय शुरू करने वाले पीआईबीओ, जिसके परिणामस्वरूप बाजार में पैकेजिंग की शुरुआत होती है, को अगले वित्तीय वर्ष से ईपीआर लक्ष्य दायित्व प्राप्त होंगे।

(5) उप-नियम (1) के अंतर्गत आने वाले निकाय सीपीसीबी द्वारा विकसित ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण प्राप्त किए बिना कागज या कांच या धातु से बनी पैकेजिंग से संबंधित कोई भी व्यवसाय नहीं करेंगे।

- (6) उप-नियम (1) के अंतर्गत आने वाली पंजीकृत निकाय ऐसे किसी अन्य निकाय के साथ लेन-देन नहीं करेंगे, जो उप-नियम (1) के अंतर्गत शामिल हैं, किंतु ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल पर पंजीकृत नहीं हैं।
- (7) यदि यह पाया जाता है या सुनिश्चित किया जाता है कि ऑनलाइन पोर्टल पर पंजीकृत किसी निकाय ने गलत जानकारी दी है या जानबूझकर जानकारी छिपाई है या ईपीआर दिशानिर्देशों के तहत पंजीकरण प्राप्त करते समय निर्धारित शर्तों के अनुसार कोई अनियमितता या उल्लंघन है, तो ऐसे निकाय का पंजीकरण सुनवाई का अवसर देने के बाद एक वर्ष की अवधि के लिए रद्द कर दिया जाएगा। जिन निकायों का पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, वे रद्द करने की अवधि के लिए नए सिरे से पंजीकरण नहीं करा सकेंगे।
- (8) पंजीकरण करते समय, निकायों को कंपनी के मामले में पैन नंबर, जीएसटी नंबर, सीआईएन नंबर और अधिकृत व्यक्ति/प्रतिनिधि का पैन नंबर और आवश्यकतानुसार कोई अन्य आवश्यक जानकारी प्रदान करनी होगी।

7. विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के लिए लक्ष्य और पीआईबीओ के दायित्व.- (1) पीआईबीओ के लिए ईपीआर लक्ष्य पैकेजिंग सामग्री के अनुसार निर्धारित किए जाएंगे।

(2) उत्पादकों के लिए ईपीआर लक्ष्य की पूर्ति कांच या धातु या कागज से उत्पन्न पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण से संबंधित होगी। मीट्रिक टन में निर्धारित मात्रा (क्यू 1), पिछले दो वित्तीय वर्षों में बेची गई पैकेजिंग सामग्री का औसत वजन (क) में पिछले दो वित्तीय वर्षों में उपभोग-पूर्व पैकेजिंग अपशिष्ट की औसत मात्रा (ख) को जोड़कर पिछले वित्तीय वर्ष में उप-खंड 4 (iii) के तहत शामिल निकायों को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा (ग) को घटाकर प्राप्त होगी।

$$\text{क्यू 1 (मीट्रिक टन में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

ईपीआर लक्ष्य नीचे दिए अनुसार होगा:

क्र.सं.		पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में ईपीआर लक्ष्य (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 और आगे
1	कागज	70	85	100	100
2	धातु	70	85	100	100
3	कांच	70	85	100	100

(3) आयातकों के लिए ईपीआर लक्ष्य की पूर्ति कांच या धातु या कागज से उत्पन्न पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण के संबंध में होगी। मीट्रिक टन में निर्धारित मात्रा (क्यू 2), पिछले दो वित्तीय वर्षों में आयात किए गए और बेचे गए आयातित उत्पादों (श्रेणीवार) के कांच, धातु और/या कागज से बनी पैकेजिंग सामग्री और/या पैकेजिंग का औसत वजन (क) में पिछले दो वित्तीय वर्षों में पूर्व-उपभोक्ता पैकेजिंग की औसत मात्रा (ख) को जोड़कर पिछले वित्तीय वर्षों में उप-खंड 4 (iii) के अंतर्गत आने वाले निकायों को आपूर्ति की गई वार्षिक मात्रा (ग) को घटाकर प्राप्त होगी।

$$\text{क्यू 2 (मीट्रिक टन में)} = (\text{क} + \text{ख}) - \text{ग}$$

ईपीआर लक्ष्य निम्नानुसार होगा:

क्र.सं.		पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में ईपीआर लक्ष्य (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 और उसके बाद
1	कागज	70	85	100	100
2	धातु	70	85	100	100
3	कांच	70	85	100	100

(4) ब्रांड मालिकों के लिए ईपीआर लक्ष्य की पूर्ति कांच या धातु या कागज़ से उत्पन्न पैकेजिंग कचरे के पुनर्चक्रण के संबंध में होगी। मीट्रिक टन में उपयुक्त मात्रा (Q 3) पिछले दो वित्तीय वर्षों में पिछले दो खरीदी गई और बाज़ार में पेश की गई परिशुद्ध पैकेजिंग सामग्री (श्रेणीवार) (क) में प्री-कंज्यूमर पैकेजिंग की औसत मात्रा (क) को जोड़कर प्राप्त औसत वजन होगी।

क्यू 3 (एमटी में) = क + ख

ईपीआर लक्ष्य नीचे दिया जाएगा:

क्र.सं.		क्यू 3 पैकेजिंग के प्रतिशत के रूप में ईपीआर लक्ष्य (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 और आगे
1	कागज	70	85	100	100
2	धातु	70	85	100	100
3	कांच	70	85	100	100

सामग्री-वार मीट्रिक टन (एमटी) पैकेजिंग में ईपीआर लक्ष्य (जैसा लागू हो), सीपीसीबी द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर कार्य योजना के भाग के रूप में पीआईबीओ द्वारा निर्धारित किया जाएगा।

(5) पीआईबीओ ईपीआर लक्ष्य के अंतर्गत एकत्रित पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण (प्रयोग अवधि की समाप्ति पर निपटान को छोड़कर) के न्यूनतम स्तर को ऊपर यथोल्लिखित पैकेजिंग-वार सुनिश्चित करेंगे।

तालिका: न्यूनतम पुनर्चक्रण लक्ष्य

क्र.सं.		पैकेजिंग अपशिष्ट का न्यूनतम पुनर्चक्रण (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 और आगे
1	कागज	50	60	70	80
2	धातु	50	60	70	80
3	कांच	50	60	70	80

(6) केवल उन पैकेजिंग कचरे को, जिन्हें पुनर्चक्रित नहीं किया जा सकता है, सीपीसीबी द्वारा समय-समय पर जारी प्रासंगिक दिशानिर्देशों के अनुसार प्रयोग अवधि की समाप्ति के पश्चात निपटान के लिए भेजा जाएगा।

(7) पीआईबीओ निम्नानुसार पैकेजिंग में पुनर्चक्रित सामग्री का श्रेणी-वार उपयोग सुनिश्चित करेंगे।

क्र.सं.		पैकेजिंग उत्पाद/सामग्री बनाने में पुनर्चक्रित सामग्री का न्यूनतम उपयोग (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 और आगे
1	कागज	40	50	60	70
2	धातु	20	30	40	50
3	कांच	50	60	70	80

ऐसे मामलों में, जहां वैधानिक आवश्यकताओं के कारण पुनर्चक्रित सामग्री से संबंधित दायित्व को पूरा करना संभव नहीं है, सीपीसीबी द्वारा केस-टू-केस आधार पर छूट प्रदान की जाएगी। हालांकि, ऐसे मामलों में, पीआईबीओ को ऐसे पीआईबीओ से समतुल्य मात्रा का प्रमाण पत्र खरीदकर पुनर्नवीनीकृत सामग्री (मात्रात्मक रूप में) के उपयोग के उन्हें अपने दायित्व को पूरा करना होगा, जिन्होंने अपने दायित्व से अधिक मात्रा में पुनर्नवीनीकृत सामग्री का उपयोग किया है। सीपीसीबी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(8) ऐसे मामले में, जहां ब्रांड के मालिक पैकेजिंग सामग्री और/या सैनिटरी उत्पाद का निर्माता और/या आयातक भी है, निर्माता और आयातक का ईपीआर लक्ष्य क्रमशः निर्माता और/या आयातक के रूप में उनके ईपीआर लक्ष्यों और दायित्वों को निर्धारित करने के लिए भी लागू होगा।

(9) एमटी श्रेणी-वार ईपीआर लक्ष्य, जहां लागू हो, सभी पीआईबीओ द्वारा सीपीसीबी द्वारा विकसित केंद्रीकृत पोर्टल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

(10) पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण और पैकेजिंग में पुनर्चक्रित सामग्री के उपयोग के दायित्वों की समीक्षा, निर्दिष्ट लक्ष्यों को पूरा करने के लिए उपलब्ध प्रौद्योगिकियों के आधार पर हर पांच साल में की जाएगी।

(11) सीपीसीबी द्वारा तैयार दिशा-निर्देशों के अनुसार, कांच, धातु और/या कागज के साथ-साथ सैनिटरी उत्पादों से बने पैकेजिंग पर ईपीआर सतत पैकेजिंग को बढ़ावा देगा, जो अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित मानदंडों पर आधारित होगा- (i) पैकेजिंग सामग्री के कम उपयोग को बढ़ावा देने वाले पैकेज डिजाइनिंग, (ii) पुनर्चक्रण के लिए उपयुक्त पैकेज डिजाइनिंग, (iii) पैकेजिंग सामग्री में पुनर्चक्रित सामग्री और (iv) पर्यावरण के लिए पैकेज डिजाइनिंग।

(12) सैनिटरी उत्पादों के उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों को नीचे दी गई तालिका के अनुसार विस्तारित उत्पादक जिम्मेदारी निर्धारित होगी

तालिका

विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व लक्ष्य (स्वच्छता अपशिष्ट के कुल भार का %)			
2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 और उसके आगे
60	70	80	100

नोट: कुल वजन सैनिटरी अपशिष्ट = बाजार में लाए गए सैनिटरी उत्पाद का कुल सूखा वजन (वजन के आधार पर) x उत्पाद के उपयोग के बाद वजन वृद्धि कारक (डब्ल्यूईएफ)

(13) सीपीसीबी इन नियमों की अधिसूचना की तारीख से छह महीने के भीतर स्वच्छता उत्पाद की प्रत्येक श्रेणी के लिए डब्ल्यूईएफ को अधिसूचित करेगा।

(14) सैनिटरी उत्पादों के पीआईबीओ यह सुनिश्चित करेंगे कि सैनिटरी अपशिष्ट को एकत्रित किया जाए तथा उसके अनुपयोगी होने की स्थिति में निपटान के लिए उसे पंजीकृत भस्मक सुविधा केंद्र में भेजा जाए।

(15) सैनिटरी उत्पादों के उत्पादक, आयातक और ब्रांड मालिक, पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर, स्थानीय प्राधिकारियों या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा अधिकृत एजेंसी या अधिकृत सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा द्वारा स्थापित पंजीकृत भस्मकों से उत्पन्न ईपीआर प्रमाणपत्र प्राप्त करके ईपीआर दायित्व को पूरा करेंगे। ईपीआर दायित्व में सैनिटरी अपशिष्ट का संग्रहण और पंजीकृत भस्मक या सामान्य जैव-चिकित्सा अपशिष्ट शोधन सुविधा तक परिवहन शामिल होगा।

8. अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्रों का सृजन, पिछले वर्ष के ईपीआर लक्ष्यों और दायित्वों के विरुद्ध आगे ले जाना और ऑफसेट करना, तथा अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्रों की बिक्री और खरीद –

(1) एक पीआईबीओ, जिसने अपने ईपीआर लक्ष्य पूरे कर लिए हैं, अधिशेष का उपयोग निम्नलिखित कार्यों के लिए कर सकता है:

- (i) खंड 9.5 के अधीन पिछले वर्ष की कमी की भरपाई,
- (ii) आगामी वर्ष में उपयोग हेतु आगे ले जाना
- (iii) इसे अन्य पीआईबीओ को बेचें

(2) अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्रों का उपयोग केवल उसी पैकेजिंग के साथ-साथ सैनिटरी उत्पादों की ऑफ-सेटिंग, कैरी फॉरवर्ड और बिक्री के लिए किया जा सकता है। रीसाइक्लिंग श्रेणी के तहत अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्रों का उपयोग रीसाइक्लिंग और अनुपयोगी होने की स्थिति में निपटान के लिए किया जा सकता है। अनुपयोगी होने की स्थिति में निपटान करने के तहत ईपीआर प्रमाणपत्रों के तहत अधिशेष का उपयोग रीसाइक्लिंग श्रेणी के तहत ईपीआर लक्ष्य की पूर्ति के लिए नहीं किया जा सकता है।

(3) एक पीआईबीओ उसी प्रकार की पैकेजिंग और/या सैनिटरी उत्पादों के लिए अन्य पीआईबीओ से अधिशेष ईपीआर प्रमाणपत्र खरीदकर भी अपने ईपीआर दायित्व को पूरा कर सकता है।

(4) ऐसे लेन-देन को पीआईबीओ द्वारा ईपीआर ढांचे के तहत वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय ऑनलाइन पोर्टल पर रिकॉर्ड किया जाएगा और उसे प्रस्तुत किया जाएगा। सीपीसीबी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे आदान-प्रदान के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(5) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बाध्य संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के व्यापार के लिए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की स्थापना हेतु एजेंसियों को अधिकृत करने के लिए दिशानिर्देश जारी करेगा।

(6) विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के व्यापार की मात्रा को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म की संख्या को प्रतिबंधित किया जा सकता है।

(7) इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म का संचालन केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा।

(8) केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्रों के लिए उच्चतम और न्यूनतम मूल्य निर्धारित करेगा, जो विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व दायित्वों को पूरा न करने के लिए बाध्य संस्थाओं पर लगाए जाने वाले पर्यावरण मुआवजे के क्रमशः 100% और 30% के बराबर होगा।

(9) पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत संस्थाओं के बीच विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व प्रमाणपत्र का विनिमय मूल्य ऊपर निर्धारित उच्चतम और निम्नतम मूल्यों के बीच होगा।

9. पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का अधिरोपण- (1) पर्यावरण की गुणवत्ता की सुरक्षा और इसमें सुधार करने तथा पर्यावरण प्रदूषण के निवारण, नियंत्रण और इसके उपशमन के उद्देश्य से, पीआईबीओ द्वारा ईपीआर लक्ष्यों को पूरा न करने के संबंध में, प्रदूषणकर्ता भुगतान करें सिद्धांत के आधार पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति लगाई जाएगी।

(2) सीपीसीबी इन नियमों के प्रावधानों को पूरा न करने, गलत सूचना देने, फर्जी ईपीआर प्रमाण पत्र बनाने सहित पीआईबीओ, अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के अधिरोपण और इसे वसूलने के लिए दिशा-निर्देश निर्धारित करेगा। पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के लिए दिशा-निर्देशों को आवश्यकतानुसार अधिसूचित और अद्यतन किया जाएगा।

(3) इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित ईपीआर लक्ष्यों, दायित्वों और उत्तरदायित्वों को पूरा न करने के संबंध में दो से अधिक राज्यों में संचालित पीआईबीओ पर यथालागू पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा वसूली जाएगी।

(4) इन दिशा-निर्देशों के तहत निर्धारित अपने ईपीआर लक्ष्यों/उत्तरदायित्वों और दायित्वों को पूरा न करने के संबंध में संबंधित राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र में संचालित पीआईबीओ (दो से अधिक राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में संचालित नहीं होने वाले पीआईबीओ के लिए), अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता जिसमें पुनर्चक्रणकर्ता और अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता- अपशिष्ट से ऊर्जा, सह-प्रसंस्करणकर्ता शामिल हैं, से यथालागू पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली जाएगी। यदि

राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/पीसीसी उचित समय में कार्रवाई नहीं करता है तो सीपीसीबी एसपीसीबी/पीसीसी को निर्देश जारी करेगा।

(5) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का भुगतान इन दिशा-निर्देशों में निर्धारित दायित्व से पीआईबीओ को मुक्त नहीं करेगा। किसी विशेष वर्ष के लिए अधूरे ईपीआर दायित्व को तीन वर्षों की अवधि तक अगले वर्ष के लिए आगे बढ़ाया जाएगा। यदि ईपीआर दायित्व की कमी को अगले वर्षों में तीन वर्षों के भीतर पूरा कर लिया जाता है तो लगाई गई पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति नीचे दिए गए अनुसार पीआईबीओ को वापस की जाएगी

- पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूले जाने के एक वर्ष के भीतर: 75% वापस की जाएगी
- दो वर्षों के भीतर 60% वापस की जाएगी
- तीन वर्षों के भीतर 40% वापस की जाएगी

पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति देय होने के 3 वर्ष पूरे होने के बाद सम्पूर्ण पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति राशि जब्त कर ली जाएगी। यह व्यवस्था बाद के वर्षों में भी पीआईबीओ द्वारा पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रह और पुनर्चक्रण के कार्य को बनाए रखेगी।

(6) इन नियमों के किसी अन्य प्रावधान के उल्लंघन के मामले में अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की वसूली के अलावा पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत भी कार्रवाई की जा सकती है। इसके अलावा, किसी अन्य लागू कानून के प्रासंगिक प्रावधानों के तहत भी कार्रवाई की जाएगी।

(7) पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति के तहत एकत्रित धनराशि को सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा एक अलग एस्क्रो खाते में डाला जाएगा। एकत्रित धनराशि का उपयोग संग्रहण न किए गए और गैर-पुनर्चक्रित/उपयोग अवधि समाप्त न हुए ऐसे पैकेजिंग अपशिष्ट के संग्रहण और पुनर्चक्रण/उपयोग अवधि की समाप्त होने पर उसके निपटान हेतु किया जाएगा, जिस पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति वसूली जाती है। वार्षिक आधार पर टोस अपशिष्ट प्रबंधन के लिए निधियों के उपयोग के तौर-तरीकों की अनुशंसा ईपीआर कार्यान्वयन संबंधी समिति द्वारा की जाएगी और मंत्रालय में इसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

10. पीआईबीओ की भूमिका- (1) पीआईबीओ को ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पंजीकरण करना होगा। इस पोर्टल का उपयोग करके पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी किया जाएगा।

(2) पीआईबीओ को पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय इसके साथ ऑनलाइन केंद्रीकृत पोर्टल के माध्यम से पैकेजिंग सामग्रीवार, सैनिटरी उत्पादवार, जहां भी लागू हो, ईपीआर लक्ष्य के बारे में जानकारी प्रदान करेंगे। पंजीकरण और पैकेजिंग सामग्रीवार, सैनिटरी उत्पादवार, जहां लागू हो, ईपीआर लक्ष्य के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए सीपीसीबी द्वारा इन दिशानिर्देशों के अनुसार मानक संचालन प्रक्रिया विकसित की जाएगी।

(3) सैनिटरी उत्पादों के लिए ईपीआर दायित्व उत्पादकों, आयातकों और ब्रांड मालिकों द्वारा स्थानीय प्राधिकरणों या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अधिकृत एजेंसी द्वारा स्थापित पंजीकृत भस्मक या साझा जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधा से पारस्परिक रूप से सहमत शर्तों के आधार पर तैयार किए गए ईपीआर प्रमाणपत्र प्राप्त करके पूरा किया जाएगा।

(4) धारा 4(iii) के अंतर्गत आने वाले ब्रांड मालिकों को धारा 4(i) और 4(ii) के अंतर्गत आने वाले उत्पादक और/या आयातक से खरीदी गई पैकेजिंग का विवरण अलग-अलग देना होगा। धारा 4(i) और 4(ii) के अंतर्गत आने वाले प्रत्येक उत्पादक और आयातक के लिए ब्रांड मालिक पर लागू मात्रा को उत्पादक और आयातक के दायित्व से घटा दिया जाएगा। खरीदी गई पैकेजिंग सामग्री की मात्रा सहित ऐसी खरीद का रिकॉर्ड ब्रांड मालिक द्वारा अलग से रखा जाएगा।

(5) धारा 4(i) और 4(ii) के अंतर्गत आने वाले उत्पादक और आयातक, धारा 4(iii) के अंतर्गत आने वाले ब्रांड मालिक को उपलब्ध कराई गई पैकेजिंग सामग्री की मात्रा का रिकॉर्ड बनाए रखेंगे। उत्पादक और आयातक द्वारा पैकेजिंग सामग्री की मात्रा सहित ऐसी बिक्री का रिकॉर्ड अलग-अलग बनाए रखा जाएगा। यदि ऐसे रिकॉर्ड नहीं बनाए रखे जाते हैं, तो उन्हें समग्र ईपीआर दायित्व को पूरा करना होगा। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पीआईबीओ के बीच लेन-देन की घोषणा को क्रॉस-चेक करेगा।

(6) पैकेजिंग उत्पाद अपशिष्ट के साथ-साथ ईपीआर दायित्वों को प्रत्यक्ष रूप से पूरा करने के लिए सैनिटरी अपशिष्ट के संग्रहण के लिए अलग-अलग अपशिष्ट तरीके विकसित करने हेतु, पीआईबीओ जमा राशि वापसी प्रणाली या बायबैक या

किसी अन्य मॉडल जैसी योजनाएँ संचालित कर सकते हैं। इससे पैकेजिंग अपशिष्ट को अन्य ठोस अपशिष्ट के साथ मिश्रित होने से रोका जा सकेगा।

(7) पीआईबीओ को ईपीआर के तहत दायित्वों को पूरा करने के लिए संग्रहित और प्रसंस्कृत पैकेजिंग उत्पाद अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट संबंधी वार्षिक रिटर्न सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्रोफॉर्मा में भरकर अगले वित्तीय वर्ष की 30 जून तक सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी में दाखिल करना होगा। पैकेजिंग उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली पुनर्चक्रित की जाने वाली और/या पुनर्चक्रित की गई सामग्री के बारे में भी जानकारी प्रदान की जाएगी। पुनर्चक्रित पैकेजिंग जिन पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं से खरीदी गई है, उनका विवरण भी प्रदान किया जाएगा।

11. अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की भूमिका.- (1) सभी अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को सीपीसीबी द्वारा विकसित केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ पंजीकरण कराना होगा। सीपीसीबी इन दिशानिर्देशों के प्रकाशन के तीन माह के भीतर पंजीकरण के लिए एक समान प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

(2) अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता प्रत्येक वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अगले वित्तीय वर्ष की 30 अप्रैल तक पैकेजिंग अपशिष्ट तथा स्वच्छता अपशिष्ट प्रसंस्करण सामग्री की मात्रा के संबंध में केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित प्रपत्र के अनुसार वार्षिक विवरण प्रस्तुत करेंगे।

(3) अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रसंस्कृत और पीआईबीओ को सौंपे गए अपशिष्ट की कुल मात्रा वार्षिक आधार पर केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के साथ-साथ अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की वेबसाइट पर भी उपलब्ध कराई जाएगी।

(4) यदि किसी भी स्तर पर यह पाया जाता है कि अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता द्वारा दी गई जानकारी गलत है, तो अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता को सीपीसीबी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार, एक वर्ष की अवधि के लिए ईपीआर कार्यदांचे के तहत काम करने से एसपीसीबी द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

(5) केवल पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट प्रसंस्करण के लिए ईपीआर प्रमाणपत्र प्रदान करने के लिए ईपीआर प्रमाणपत्र प्रदान कर सकेंगे। केवल पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए ईपीआर प्रमाणपत्रों पर ही पीआईबीओ द्वारा ईपीआर दायित्वों की पूर्ति के लिए विचार किया जाएगा।

(6) प्रमाण पत्र के लिए प्रोफॉर्मा सीपीसीबी द्वारा तैयार किया जाएगा। किसी भी मामले में, उद्यम द्वारा प्रसंस्कृत अपशिष्ट की मात्रा उद्यम की स्थापित क्षमता से अधिक नहीं होनी चाहिए। प्रमाण पत्र पैकेजिंग सामग्री के अनुसार होंगे और इसमें उद्यम का जीएसटी डेटा शामिल होगा।

(7) पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा अपशिष्ट के लिए प्रदान किए गए ईपीआर प्रमाणपत्र पंजीकृत पीआईबीओ या स्थानीय प्राधिकरणों, जो भी लागू हो, के नाम पर होंगे, जो सहमत तौर-तरीकों पर आधारित होंगे। सीपीसीबी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर ऐसे प्रमाणपत्र जारी करने के लिए तंत्र विकसित करेगा।

(8) अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ता जो अपशिष्ट का जीवन-काल समाप्ति वाली वस्तुओं का निपटान करते हैं, जैसे कि अपशिष्ट से ऊर्जा, सीमेंट भट्टे (सह प्रसंस्करण) को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार वार्षिक आधार पर जानकारी प्रदान करनी होगी। सैनिटरी अपशिष्ट को जलाने वाले भस्मीकरण केंद्र भी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल पर निर्धारित प्रोफॉर्मा के अनुसार वार्षिक आधार पर जानकारी प्रदान करेंगी। ये संस्थाएं पर्यावरण की दृष्टि से समुचित तरीके से नियामक निकायों द्वारा तैयार प्रासंगिक नियमों, दिशा-निर्देशों के अनुसार पैकेजिंग अपशिष्ट के साथ-साथ सैनिटरी उत्पादों का निपटान सुनिश्चित करेंगी।

12. सीपीसीबी की भूमिका.- (1) सीपीसीबी उन पीआईबीओ को पंजीकृत करेगा जो दो से अधिक राज्यों में काम कर रहे हैं और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पंजीकृत करेगा। सीपीसीबी पीआईबीओ के पंजीकरण के लिए मानक संचालन प्रक्रिया निर्धारित करेगा।

(2) सीपीसीबी पंजीकरण के लिए आवेदनों के प्रसंस्करण के लिए शुल्क और रिटर्न की प्रक्रिया के लिए वार्षिक शुल्क ले सकता है, जैसा भी स्वयं के द्वारा निर्धारित किया हो। ऐसे मामले में, जहां पीआईबीओ, एसपीसीबी/पीसीसी के अधिकार

क्षेत्र में काम कर रहे हैं, सीपीसीबी तय दिशा-निर्देशों के अनुसार, संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी के साथ आवेदन शुल्क साझा करेगा।

- (3) पीआईबीओ द्वारा ऑनलाइन पूर्ण आवेदन प्रस्तुत करने के दो सप्ताह के भीतर पंजीकरण किया जाएगा।
- (4) सीपीसीबी स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से निरीक्षण और आवधिक ऑडिट के माध्यम से पीआईबीओ के अनुपालन को सत्यापित करेगा, जैसा कि उचित समझा जाए। सीपीसीबी, आवश्यकतानुसार, निरीक्षण और आवधिक ऑडिट के माध्यम से अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के अनुपालन का भी सत्यापन कर सकता है। किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में संचालित अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं और पीआईबीओ के मामले में, सीपीसीबी, यदि आवश्यक हो, तो एसपीसीबी/पीसीसी को कार्रवाई करने का निर्देश दे सकता है।
- (5) सीपीसीबी उन पीआईबीओ की सूची प्रकाशित करेगा जो पिछले वित्तीय वर्ष में वार्षिक आधार पर, अगले वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर तक ईपीआर लक्ष्य और दायित्वों को पूरा करने में विफल रहे हैं।
- (6) सीपीसीबी कांच, धातु और/या कागज के साथ-साथ सैनिटरी उत्पादों से बने पैकेजिंग के लिए विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों की पूर्ति में शामिल प्रासंगिक हितधारकों के बीच नियमित बातचीत सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।
- (7) सीपीसीबी तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता और संभाव्यता के लिए पैकेजिंग अपशिष्ट के पुनर्चक्रण/ प्रसंस्करण के साथ-साथ स्वच्छता अपशिष्ट और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित प्रौद्योगिकियों की समीक्षा करेगा।

13. एसपीसीबी/पीसीसी की भूमिका .- (1) संबंधित एसपीसीबी/पीसीसी केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से पीआईबीओ (एक या दो राज्यों में संचालित) और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं को पंजीकृत करेगा। पंजीकरण के लिए ईपीआर पोर्टल पर प्रावधान किया जाएगा। एसपीसीबी/पीसीसी स्वयं या किसी नामित एजेंसी के माध्यम से अपने अधिकार क्षेत्र में पीआईबीओ के साथ-साथ अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के निरीक्षण और आवधिक लेखा परीक्षा के माध्यम से, जैसा उचित समझा जाए, पीआईबीओ के अनुपालन की पुष्टि करेगा।

(2) एसपीसीबी/पीसीसी उन संस्थाओं की सूची (अपवाद रिपोर्ट) जारी करेगी जिन्होंने वार्षिक आधार पर अपनी ईपीआर संबंधी दायित्वों को पूरा नहीं किया है और उसे अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। एसपीसीबी/पीसीसी अपने अधिकार क्षेत्र में पीआईबीओ और पैकेजिंग अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत वार्षिक रिपोर्ट सीपीसीबी को सौंपेगी एवं उसे ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल पर अपलोड करेगी।

(3) एसपीसीबी/पीसीसी विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व संबंधी दायित्वों की पूर्ति में शामिल प्रासंगिक हितधारकों के बीच नियमित संवाद सुनिश्चित करने के लिए एक तंत्र स्थापित करेगा।

14. पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट संग्रहण प्रणाली.-

(1) पीआईबीओ अपने ईपीआर दायित्वों को पूरा करते हुए पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट के प्रकार के आधार पर स्थानीय निकायों के सहयोग से या आवश्यकतानुसार पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट के संग्रहण और पृथक्करण के लिए अवसंरचना तैयार कर सकता है। इसमें पीआईबीओ द्वारा अपनाई गई ईपीआर के कार्यान्वयन के तौर-तरीकों के आधार पर निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं

(क) पैकेजिंग अपशिष्ट और स्वच्छता अपशिष्ट संग्रहण केन्द्र तथा सामग्री पुनर्प्राप्ति सुविधाएं (एमआरएफ) स्थापित करना;

(ख) पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी उत्पाद अपशिष्ट का संग्रह केन्द्रों से संग्रहण सुनिश्चित करना, और उस संग्रहण की आवृत्ति शामिल किए गए क्षेत्र और मात्रा के अनुपात में हो;

(ग) यूएलबी, ग्राम पंचायतों, अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों या अपशिष्ट प्रबंधन करने वाले तीसरे पक्ष जैसी संस्थाओं से पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट के संग्रह की पेशकश करें, और उस प्रस्ताव को मानने वाली सभी संस्थाओं से संग्रह की व्यवस्था करें; संग्रह और परिवहन के लिए आवश्यक व्यावहारिक व्यवस्था प्रदान करें;

(घ) यह सुनिश्चित करना कि संग्रहण केन्द्रों से एकत्रित पैकेजिंग अपशिष्ट को बाद में पुनर्चक्रणकर्ता द्वारा पंजीकृत सुविधा में पुनर्चक्रित किया जाए या विनिर्दिष्ट तरीके से उसके अनुमत अंतिम उपयोग के लिए उपयोग किया जाए तथा एकत्रित सैनिटरी अपशिष्ट का पंजीकृत भस्मीकरण सुविधा केन्द्रों में भस्मीकरण के द्वारा 'एंड ऑफ लाइफ' निपटान किया जाए।

(2) पीआईबीओ यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि संग्रहण केन्द्रों का नेटवर्क जनसंख्या के आकार, पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट की अपेक्षित मात्रा, अंतिम उपयोगकर्ताओं के लिए पहुंच और निकटता को ध्यान में रखते हुए बनाया जाए, न कि इसे केवल उन क्षेत्रों तक सीमित रखा जाए जहां संग्रहण और उसके बाद का प्रबंधन लाभदायक है।

(3) अपशिष्ट संग्रहण में शामिल संस्थाएं अपशिष्ट शोधन और पुनर्चक्रण या पहचान किए गए अंतिम बार उपयोग वाले पदार्थों को भस्मीकरण हेतु सौंप देंगी।

(4) स्वैच्छिक संग्रहण केन्द्र पैकेजिंग अपशिष्ट के साथ-साथ सैनिटरी अपशिष्ट को भी पीआईबीओ या उनकी ओर से कार्य करने वाली तृतीय पक्ष एजेंसियों को सौंप देंगे, ताकि उनका शोधन और पुनर्चक्रण किया जा सके या उनका अंतिम उपयोग या भस्मीकरण किया जा सके।

15. ईपीआर उत्तरदायित्वों की पूर्ति- (1) पीआईबीओ को अगले वित्तीय वर्ष की दिनांक 30 जून तक केंद्रीयकृत ऑनलाइन पोर्टल पर वार्षिक रिटर्न दाखिल करते समय केवल पंजीकृत पुनर्चक्रणकर्ताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं से ईपीआर प्रमाणपत्रों का विवरण तथा एंड ऑफ लाइफ निपटान के लिए भेजी गई मात्रा का विवरण उपलब्ध कराना होगा। पीआईबीओ और पंजीकृत अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा प्रदान किए गए विवरणों की विधिवत जांच की जाएगी। अंतर के मामले में, पीआईबीओ के ईपीआर उत्तरदायित्वों की पूर्ति के लिए कम (लोअर) आंकड़े पर विचार किया जाएगा। प्रमाणपत्र सीपीसीबी/एसपीसीबी/पीसीसी द्वारा सत्यापन के अधीन होंगे, जैसा भी मामला हो।

16. केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल- (1) पंजीकरण के लिए केंद्रीकृत ऑनलाइन प्रणाली और साथ ही पीआईबीओ (तिमाही/वार्षिक) और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा रिटर्न दाखिल करने के लिए एक तंत्र या प्रणाली का विकसित किया जाना सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें पैकेजिंग सामग्री और सैनिटरी उत्पाद के पीआईबीओ और पीआईबीओ द्वारा एक वित्तीय वर्ष में बाजार में पेश किए गए पैकेजिंग और सैनिटरी उत्पादों का भौतिक संतुलन दर्शाया जाएगा। इसमें पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट के पीआईबीओ के साथ-साथ पुनर्चक्रणकर्ताओं/अन्य अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं की लेखा-परीक्षा संबंधी विवरण भी दर्शाया जाएगा।

(2) केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल, ईपीआर प्रमाण-पत्रों के सृजन और आदान-प्रदान सहित, बाध्य संस्थाओं द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व के कार्यान्वयन के लिए ऑनलाइन डिजिटल प्रणाली प्रदान करेगा। इन नियमों के अंतर्गत विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व (ईपीआर) का कार्यान्वयन प्लास्टिक पैकेजिंग के केंद्रीकृत ऑनलाइन ईपीआर पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा, जिसमें कांच, धातु, कागज और सैनिटरी उत्पाद से बने पैकेजिंग के लिए ईपीआर पर एक अलग मॉड्यूल होगा।

(3) एसपीसीबी/पीसीसी भी पीआईबीओ के साथ-साथ पुनर्चक्रणकर्ताओं/अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं के पंजीकरण के लिए उसी वेब पोर्टल का उपयोग करेगा। वेब पोर्टल पैकेजिंग अपशिष्ट और सैनिटरी अपशिष्ट के लिए ईपीआर के कार्यान्वयन से संबंधित आदेशों और दिशानिर्देशों के संबंध में एकल बिंदु डेटा भंडार के रूप में कार्य करेगा। पीआईबीओ, यदि वे चाहें तो, ऑनलाइन वेब पोर्टल/प्लेटफॉर्म के विकास की सुविधा प्रदान कर सकते हैं।

(4) जब तक इस नियमों के तहत ईपीआर उत्तरदायित्वों के लिए ऑनलाइन वेब पोर्टल मॉड्यूल विकसित नहीं हो जाता, तब तक ईपीआर के कार्यान्वयन से संबंधित सभी गतिविधियां ऑफलाइन तरीके से की जाएंगी।

17. निगरानी- (1) एसपीसीबी/पीसीसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पीआईबीओ और अपशिष्ट प्रसंस्करणकर्ताओं द्वारा विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व की पूर्ति के संबंध में ईपीआर पोर्टल पर वार्षिक रिपोर्ट सीपीसीबी को प्रस्तुत करेगा। एसपीसीबी अगले वर्ष की दिनांक 31 जुलाई तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में पुनर्चक्रणकर्ताओं/प्रसंस्करणकर्ताओं/एंड ऑफ लाइफ निपटान के संबंध में वार्षिक रिपोर्ट भी सीपीसीबी को प्रस्तुत करेगा।

18. एसडब्ल्यूएम नियमों के तहत ईपीआर के लिए समिति (1) ईपीआर के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को उपाय सुझाने के लिए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष की अध्यक्षता में सीपीसीबी द्वारा एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें ईपीआर दिशा-निर्देशों में संशोधन भी शामिल होगा। यह समिति ईपीआर के कार्यान्वयन की निगरानी करेगी और कठिनाइयों को दूर करने के लिए आवश्यक उपाय भी करेगी। इस समिति को अपेक्षित फॉर्म/प्रोफॉर्मा के अनुमोदन सहित केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के मार्गदर्शन और पर्यवेक्षण का कार्य भी सौंपा जाएगा।

(2) इस समिति में संबंधित मंत्रालयों/विभागों के प्रतिनिधि शामिल होंगे, जैसे आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, पेयजल एवं स्वच्छता विभाग, सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय, भारतीय मानक ब्यूरो, तीन राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड/प्रदूषण नियंत्रण समिति, राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (एनईईआरआई), और तीन उद्योग संघ तथा इस समिति के अध्यक्ष द्वारा निर्धारित किया गया कोई अन्य आमंत्रित व्यक्ति।

[फा.सं. 18/8/2024-एचएसएम]

नरेश पाल गंगवार, अपर सचिव

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FOREST AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th December, 2024

S.O. 5282 (E).— The following draft rules, which the Central Government proposes to issue in exercise of the powers conferred by sections 3, 6 and 25 of the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986)

Whereas the Government proposes to introduce following draft rules in order to introduce extended producer responsibility for ensuring environmentally sound management of post-consumer paper including paper board, glass, metal (excluding non-ferrous metal based) packaging and sanitary products and to promote circular economy through reuse, recovery and recycling thereby creating new opportunities for economic activities, green jobs and innovations;

Whereas the EPR on packaging and sanitary products will promote generation of wealth from waste, resource conservation through reducing extraction of virgin resources, optimum use of materials as well as improve the quality of environment across the country;

Whereas it is hereby published for the information of the public likely to be affected thereby; and the notice is hereby given that the said draft notification shall be taken into consideration on or after the expiry of a period of sixty days from the date on which copies of this notification, as published in the gazette of India, are made available to public;

Objections or suggestions on the proposals contained in the draft notification, if any may be addressed, within the period so specified, to the Secretary, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Indira Paryavaran Bhawan, Jor bagh Road, New Delhi- 110 003 or electronically at e-mail addressed: sohsmf-mef@gov.in

The objections and suggestions which may be received from any person with respect to the said draft rules before the expiry of the period so specified shall be considered by the Central Government.

Draft Rules

Chapter I

1. Short title and commencement:- (1) These rules shall be called draft Environment Protection (Extended Producer Responsibility for Packaging made from paper, glass and metal as well as sanitary products) Rules, 2024 ;

(2) They shall come into force from 01 April, 2026.

2. Application.- These rules shall apply to:

- (i) Producer (P) who introduce any packaging made from glass, metal and paper including paper board as well as sanitary products in the market;
- (ii) Importer (I) who introduce any packaging made from glass, metal, paper including paper board as well as sanitary products in the market;
- (iii) Brand Owners (BOs) who introduce any packaging made from glass, metal and paper including paper board as well as sanitary products in the market;
- (iv) Waste processor of packaging made of paper including paper board or glass or metal and sanitary waste;

3. Definitions.- (1) In these rules, unless the context otherwise requires,-

“**Brand Owner**” means a person or company who sells any commodity under a registered brand label/trade mark;

- i. “**End of Life disposal**” means using packaging waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns) or for other utilisation as per guidelines, etc.
- ii. “**Extended Producer’s Responsibility (EPR)**” means the responsibility of a producer for the environmentally sound management of the product until the end of its life;
- iii. “**Importer**” —means a person who imports for commercial use, any packaging made from glass, metal and paper and sanitary products;
- iv. “**Waste Processors**” means recyclers and entities engaged in using solid waste for energy (waste to energy)
- v. “**Pre-consumer packaging waste**” means packaging waste generated in the form of reject or discard at the stage of manufacturing of packaging and packaging waste generated during the packaging of product including reject, discard, before the packaging reaches the end-use consumer of the product.
- vi. “**Post-consumer packaging waste**” means packaging waste generated by the end-use consumer after the intended use of packaging is completed and is no longer being used for its intended purpose.
- vii. “**Producer**” means persons engaged in manufacture of packaging made from glass, metal and paper and sanitary products;
- viii. “**Recyclers**” are entities who are engaged in the process of recycling of packaging waste;
- ix. “**Recycling**” means the process of transforming segregated packaging waste into a new product or raw material for producing new products;
- x. “**sanitary products**” means products comprising of diapers, sanitary towels or napkins, incontinence sheets;
- xi. “**Use of recycled content**” means recycled material, instead of virgin, is used as raw material in the manufacturing process
- xii. “**Waste to Energy**” means using packaging waste for generation of energy and includes co-processing (e.g. in cement kilns).

(2) Words and expressions used herein but not defined, but defined in the Environment (Protection) Act, 1986, the Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974 and the Air (prevention and Control of Pollution) Act, 1981, as well as rules notified there under, as amended from time to time, shall have the same meaning as assigned to them in the respective Acts and Rules.

4. Obligated Entities.- (1) The Producers, Importers and Brand Owners who introduce any packaging or sanitary products in the market shall be responsible for collection of such packaging or sanitary products.

(2) Where any Producer, Importer or Brand owner fulfils his extended producer responsibility, he/she is deemed to have complied with his responsibility under sub-rule (2) of this rule.

(3) The following entities shall be covered under the EPR obligations and provisions of these notification,-

- (i) Producer (P) who introduce any packaging made from glass, metal and paper including paper board as well as sanitary products in the market other than micro and small enterprises as defined under the Micro, Small and Medium Enterprises Development Act, 2006 (27 of 2006)
- (ii) Importer (I) who introduce any packaging made from glass, metal and paper including paper board as well as sanitary products in the market with an annual turnover of Rs. 10 crore and above;

(iii) Brand Owners (BOs) who introduce any packaging made from glass, metal and paper including paper board as well as sanitary products in the market, including online platforms/marketplaces and supermarkets/retail chains other than those, which are micro and small enterprises as per the criteria of Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India.

(iv) Waste Processors of packaging made of paper including paper board or glass or metal or sanitary waste.

(4) In case, any entity has EPR obligation for more than one type of packaging, then the entity shall have a single registration. The registration shall be as per SOP prescribed by CPCB for the purpose as per these Guidelines.

5. Coverage of EPR.- (1) The following are covered under EPR:

(i) Packaging made of paper

(ii) Packaging made of glass

(iii) Metal packaging, excluding non-ferrous metal based packaging covered under Hazardous Waste and Other Wastes (Management and Transboundary Movement) Rules, 2016.

(iv) Sanitary products

(2) Packaging waste comprising of plastic shall be governed and managed as per Plastic Waste Management Rules, 2016 as amended from time to time.

(3) The EPR on packaging made of paper, glass and metal covers the following elements:

I. Recycling

II. Use of recycled content

III. End of life disposal

6. Registration.- (1) The following entities shall register on the centralized online portal of EPR:

I. Producer (P) of packaging made of paper or glass or metal or sanitary products;

II. Importer (I) of packaging made of paper or glass or metal or sanitary products;

III. Brand owner (BO) of packaging made of paper or glass or metal or sanitary products;

IV. Waste Processor of packaging made of paper or glass or metal and sanitary waste

(2) Registration of PIBOs (operating in one or two states) and waste processors shall be done by SPCB/PCC through the centralized EPR portal.

(3) Registration of PIBOs (operating in more than two states) shall be done by CPCB through the centralized EPR portal.

(4) PIBOs starting their business in a particular year resulting in introduction of packaging in the market, shall have EPR target obligations from the succeeding financial year.

(5) The entities covered under sub-rule (1) shall not carry out any business related to packaging made of paper or glass or metal, without obtaining registration through on-line centralized portal developed by CPCB.

(6) The registered entities covered under sub-rule (1) shall not deal with any other entity covered under sub-rule (1) but not registered on the online centralized portal.

(7) In case, it is found or determined that any entity registered on the online portal has provided false information or has wilfully concealed information or there is any irregularity or deviated from the conditions stipulated while obtaining registration under EPR Guidelines, then the registration of such an entity would be revoked for a one -year period after giving an opportunity to be heard. The entities whose registration has been revoked shall not be able to register afresh for the period of revocation.

(8) While registering, the entities shall have to provide PAN Number, GST Number, CIN Number, in case of the Company and PAN Number of authorized person(s)/representative (s) and any other necessary information as required.

7. Targets for Extended Producer Responsibility and Obligations of PIBOs.- (1) The EPR targets for the PIBOs shall be determined packaging material wise.

(2) The fulfilment of EPR target for producers shall be with respect to recycling of packaging waste generated from glass or metal or paper. Eligible Quantity in MT (Q 1) shall be the average weight of packaging material sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer packaging waste in the last two financial year (B) minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial year.

$$Q 1 \text{ (in MT)} = (A + B) - C$$

The EPR Target shall be as given below:

S.No.		EPR Target as a percentage of Q1 packaging wise (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 and onwards
1.	Paper	70	85	100	100
2.	Metal	70	85	100	100
3.	Glass	70	85	100	100

(3) The fulfilment of EPR target for Importers shall be with respect to recycling of packaging waste generated from glass or metal or paper. Eligible Quantity in MT (Q 2) shall be the average weight of packaging material and / or packaging made from glass, metal and/or paper of imported products (category-wise) imported and sold in the last two financial years (A) plus average quantity of pre-consumer packaging in the last two financial year (B) waste minus the annual quantity (C) supplied to the entities covered under sub-clause 4 (iii) in the previous financial years.

$$Q 2 \text{ (in MT)} = (A + B) - C$$

The EPR Target shall be as given below:

S.No.		EPR Target as a percentage of Q2 packaging wise (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 and onwards
1.	Paper	70	85	100	100
2.	Metal	70	85	100	100
3.	Glass	70	85	100	100

(4) The fulfilment of EPR target for Brand Owners shall be with respect to recycling of packaging waste generated from glass or metal or paper. Eligible Quantity in MT (Q 3) shall be the average weight of virgin packaging material (category-wise) purchased and introduced in market in the last two financial years (A) plus average quantity of (B) of pre-consumer packaging in the last two financial years.

$$Q 3 \text{ (in MT)} = A + B$$

The EPR Target shall be as given below:

S.No.		EPR Target as a percentage of Q3 packaging wise (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 and onwards
1.	Paper	70	85	100	100
2.	Metal	70	85	100	100
3.	Glass	70	85	100	100

The EPR target in MT packaging material-wise (as applicable, shall be provided by PIBOs as part of Action Plan on the centralized portal developed by CPCB.

(5) The PIBOs shall ensure minimum level of recycling (excluding end of life disposal) of packaging waste collected under EPR target, packaging wise mentioned above.

Table: Minimum recycling target

S.No.		Minimum recycling of packaging waste (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 and onwards
1.	Paper	50	60	70	80
2.	Metal	50	60	70	80
3.	Glass	50	60	70	80

(6) Only those packaging waste, which cannot be recycled will be sent for end-of-life disposal as per relevant guidelines issued by CPCB from time to time.

(7) The PIBOs shall ensure use of recycled content in the packaging category-wise as given below.

S.No.		Minimum use of recycled content in making of packaging product/material (%)			
		2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 and onwards
1.	Paper	40	50	60	70
2.	Metal	20	30	40	50
3.	Glass	50	60	70	80

In cases, where it is not possible to meet the obligation in respect of recycled content on account of statutory requirements, the exemption will be granted by CPCB on case-to-case basis. However, in such cases, the PIBO will have to fulfil its obligation of use of recycled content (in quantitative terms) through purchase of certificate of equivalent quantity from such PIBOs who have used recycled content in excess of their obligation. CPCB will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

(8) In case, where Brand owner is also Producer and/or Importer of packaging material and or sanitary product, EPR target of Producer and Importer shall also apply for determining their EPR targets and obligations as Producer and /or Importer, respectively.

(9) The EPR target in MT category-wise, as applicable, shall be provided by all the PIBOs on the centralized portal developed by CPCB.

(10) The obligations for recycling of packaging waste and use of recycled content in packaging shall be reviewed every five years based upon available technologies for meeting the targets specified.

(11) EPR on packaging made from glass, metal and/or paper as well as sanitary products will promote sustainable packaging, as per guidelines prepared by CPCB, inter alia based on the following criteria (i) package designing promoting reduced use of packaging material, (ii) package designing amenable for recycling, (iii) recycled content in packaging material and (iv) package designing for environment.

(12) The producers, importers and brand owners of sanitary products shall have extended producer responsibility as per table given below

TABLE

Extended Producer Responsibility target (% of Total Weight of Sanitary waste)			
2026-27	2027-28	2028-29	2029-30 and onwards
60	70	80	100

Note: Total Weight Sanitary waste = Total dry weight of sanitary product introduced in market (weight basis) X Weight Enhancement factor after use of product (WEF)

(13) CPCB shall notify WEF for each category of sanitary product within six months from the date of notification of these rules.

(14) PIBOs of sanitary products shall ensure that sanitary waste be collected and sent to a registered incinerator facility for end of life disposal.

(15) The producers, importers and brand owners of sanitary products shall fulfil EPR obligation by procuring EPR certificates generated from registered incinerators set up by local authorities or agency authorized by the local authority or authorized common biomedical waste treatment facility, based upon mutually agreed terms. The EPR obligation shall cover collection and transportation of sanitary waste to registered incinerators or common biomedical waste treatment facility.

8. Generation of surplus EPR Certificates, carry forward and offsetting against previous year EPR targets and obligations, and sale and purchase of surplus EPR certificates .- (1) A PIBO, who has fulfilled their EPR targets, can use the surplus for the following:

(i) Off setting previous year shortfall subject to clause 9.5,

(ii) Carry forward for use in succeeding year

(iii) Sell it to other PIBOs

(2) Surplus EPR certificates can only be used for off-setting, carry forward and sale of the same packaging as well as sanitary products. Surplus EPR certificates under recycling category can be used for recycling and end of life disposal. Surplus under EPR certificates under end of life disposal cannot be used for fulfilment of EPR target under recycling category.

(3) A PIBO can also meet its EPR obligation by purchasing surplus EPR certificates from other PIBOs of the same type of packaging and/or sanitary products.

(4) Such transactions shall be recorded and submitted by the PIBO on the online portal while filing annual returns under the EPR framework. CPCB will develop mechanism for such exchange on the centralized online portal.

(5) The Central Pollution Control Board shall issue guidelines for authorisation of agencies for establishment of electronic platform for trade of Extended Producer Responsibility certificates between obligated entities.

(6) The number of electronic platform may be restricted keeping in view volume of trade of Extended Producer Responsibility certificates.

(7) The operation of electronic platform shall be as per guidelines issued by Central Pollution Control Board after approval of the Central Government.

(8) The Central Pollution Control Board shall fix the highest and the lowest price for extended producer responsibility certificates which shall be equal to 100 % and 30 % ,respectively, of the Environment Compensation leviable on the obligated entities for non-fulfilment of Extended Producer Responsibility obligations,

(9) The exchange price of Extended Producer Responsibility certificate between registered entities through the portal shall be between the highest and the lowest prices as fixed above.

9. Imposition of Environmental Compensation.- (1) Environmental Compensation shall be levied based upon polluter pays principle, with respect to non-fulfilment of EPR targets by PIBOs, for the purpose of protecting and improving the quality of the environment and preventing, controlling and abating environment pollution.

(2) CPCB shall lay down guidelines for imposition and collection of environment compensation on PIBOs, waste processors, for non-fulfilment of provisions of these rules including for giving false information, generation of bogus EPR certificates. The Guidelines for Environmental Compensation shall be notified and updated, as required.

(3) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by Central Pollution Control Board on the PIBOs operating in more than two states with respect to non-fulfilment of their EPR targets, responsibilities and obligations set out in these guidelines.

(4) The Environment Compensation, as applicable, shall be levied by respective State Pollution Control Boards on the PIBOs operating in their jurisdiction (for PIBOs not operating in more than two states/UTs), waste processors which includes recyclers and other waste processors – waste to energy, co-processors, with respect to non-fulfilment of their EPR targets/ responsibilities and obligations set out under these guidelines. In case, the State Pollution Control Board/PCC does not take action in reasonable time the CPCB shall issue directions to the SPCB/PCC.

(5) Payment of environmental compensation shall not absolve the PIBO of the obligation set out in these Guidelines. The unfulfilled EPR obligation for a particular year will be carried forward to the next year for a period of three years. In case, the shortfall of EPR obligation is addressed within subsequent years within three years. The environmental compensation levied shall be returned to the PIBO as given below

- Within one year of levying of EC : 75% return
- Within two years 60% return
- Within three years 40% return

After completion of 3 years on EC getting due the entire EC amount shall be forfeited. This arrangement shall allow for collection and recycling of packaging waste by PIBOs in later years as well.

(6) Action against under Section 15 of Environment (Protection) Act may also be taken for violation of any other provisions of these rules in addition to levy of environmental compensation levied. Besides, action under relevant provisions of any other applicable law, shall also be taken.

(7) The funds collected under environmental compensation shall be kept in a separate Escrow account by CPCB/SPCB/PCC. The funds collected shall be utilized in collection and recycling/end of life disposal of uncollected and non-recycled/ non- end of life disposal of packaging waste on which the environmental compensation is levied. Modalities for utilization of the funds for solid waste management on an annual basis would be recommended by the Committee for EPR implementation and approved by the Competent Authority in the Ministry.

10. Role of PIBOs.- (1) The PIBOs shall have to register through the online centralized portal. The certificate of registration shall be issued using the portal.

(2) PIBOs shall provide information on the EPR target, packaging material wise, sanitary product wise where applicable, through the online centralized portal, along with application for registration. The standard operating procedure for registration as well as for providing information on the EPR target, packaging material wise, sanitary product wise where applicable shall be developed by CPCB as per these Guidelines.

(3) The EPR obligation towards sanitary products shall be fulfilled by producers, importers and brand owners by procuring EPR certificates generated from registered incinerators set up by local authorities or agency authorized by the local authority or common biomedical waste treatment facility, based upon mutually agreed terms

(4) Brand owners covered under Clauses 4 (iii) shall provide details of packaging purchased from Producer and/or Importer covered under Clause 4 (i) and 4 (ii) separately. The quantities attributed to each Producer and Importer covered under Clause 4 (i) and 4 (ii) obligated upon Brand Owner shall be deducted from the obligation of Producer and Importer. The record of such purchase including packaging material quantity purchased, shall be maintained separately by Brand Owner.

(5) The Producer and Importer covered under Clauses 4 (i) and 4 (ii) will maintain the record of the quantity of packaging material made available to Brand Owner covered under Clause 4 (iii). The record of such sale including packaging material quantity sold, will be maintained separately by Producer and Importer. In case such records are not maintained, they will have to fulfil the complete EPR obligation. The online platform shall cross-check the declaration of transactions among PIBOs.

(6) In order to develop separate waste streams for collection of packaging product waste as well as sanitary waste for directly fulfilling EPR obligations, the PIBOs may operate schemes such as deposit refund system or buy back or any other model. This will prevent mixing of packaging waste with other solid waste being generated.

(7) The PIBOs shall file annual returns on the packaging product waste and sanitary waste collected and processed towards fulfilling obligations under EPR with the concerned CPCB/SPCB/PCC as per pro forma prescribed by CPCB by the 30th June of the next financial year. Information on the recycling and/or recycled content used for

packaging purposes shall also be provided. The details of the registered recyclers from whom the recycled packaging has been procured shall also be provided.

11. Role of Waste Processors.- (1) All waste processors shall have to register with concerned SPCB/PCC on the centralized online portal developed by CPCB. CPCB shall lay down uniform procedure for registration within three months of the publication of these Guidelines.

(2) The waste processors shall submit annual returns after end of every financial year by 30th April of the next financial year on the quantity of packaging waste as well as sanitary waste processed material-wise as per prescribed pro forma on the centralized online portal.

(3) The total quantity of waste processed by waste processors and attributed to PIBOs, on an annual basis, will be made available on the centralized online portal as also on the website of waste processors.

(4) In case, at any stage it is found that the information provided by the waste processor is false, the waste processor shall be debarred by SPCB, as per procedure laid down by CPCB, from operating under the EPR framework for a period of one year.

(5) Only registered waste processors, shall provide EPR certificates for packaging waste and sanitary waste processing. The EPR certificates provided by only registered waste processors shall be considered for fulfilment of EPR obligations by PIBOs.

(6) The pro forma for the certificate shall be developed by CPCB. In no case, the amount of waste processed by the enterprise shall be more than installed capacity of the enterprise. The certificates will be for packaging material-wise and shall include GST data of the enterprise.

(7) The EPR certificates for waste provided by registered waste processors shall be in the name of registered PIBOs or local authorities, as applicable, based upon agreed modalities. CPCB will develop mechanism for issuance of such certificates on the centralized online portal.

(8) The waste processors undertaking end-of-life disposal of waste viz. waste to energy, cement kilns (co processing) shall provide information on an annual basis as per prescribed pro forma, on the centralized online portal. Incineration facilities undertaking incineration of sanitary waste shall also provide information on an annual basis as per prescribed pro forma, on the centralized online portal. These entities shall ensure the disposal of packaging waste as well as sanitary products as per relevant rules, guidelines framed by regulatory bodies in an environmentally sound manner.

12. Role of CPCB.- (1) The CPCB shall register PIBOs who are operating in more than two states and waste processors, through centralized online portal. CPCB shall prescribe the standard operating procedure for registration of PIBOs.

(2) The CPCB may charge fee for processing of applications for registration and an annual fee for processing of returns, as per procedure prescribed by it. In case, where PIBOs, are operating in the jurisdiction of a SPCB/PCC, the CPCB as per guidelines so decided, share the application fee with the concerned SPCB/PCC.

(3) The registration shall be done within two weeks from the submission of a complete application online by the PIBOs.

(4) CPCB by itself or through a designated agency shall verify compliance of PIBOs through inspection and periodic audit, as deemed appropriate. CPCB, as required, can also verify compliance of waste processors through inspection and periodic audit. In case of waste processors and PIBOs operating in a State/UT, CPCB may, if required, direct SPCB/PCC to take action.

(5) CPCB shall publish the list PIBOs who have failed to meet EPR target and obligations in the previous financial year, on an annual basis, by 30th September of the next financial year.

(6) CPCB will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations for packaging made from glass, metal and/or paper as well as sanitary products.

(7) The CPCB shall carry out review of technologies related to recycling/processing of packaging waste as well as sanitary waste and solid waste management for techno-economic viability and feasibility.

13. Role of SPCB / PCC.- (1) The concerned SPCB/PCC shall register PIBOs (operating in one or two states) and waste processors, through the centralized online portal. Provision for registration shall be made on the EPR portal. SPCB/PCC by itself or through a designated agency verify compliance of PIBO through inspection and periodic audit, as deemed appropriate, of PIBOs as well as waste processors in their jurisdiction

(2) The SPCB/PCC shall bring out a list of entities (Exception Report) which have not fulfilled their EPR responsibilities on annual basis and publish the same on their website. The SPCB/PCC shall submit the Annual Reports submitted by PIBOs and packaging waste processors in their jurisdiction to CPCB and upload the same on the online EPR portal.

(3) SPCB/PCC will establish a mechanism to ensure a regular dialogue between relevant stakeholders involved in the fulfilment of extended producer responsibility obligations.

14. Packaging Waste and Sanitary waste collection system.-

(1) PIBO while fulfilling their EPR obligations may develop collection and segregation infrastructure of packaging waste and sanitary waste in collaboration with local bodies or as required, based on type of packaging waste or sanitary waste. It may include the following based on implementation modality of EPR adopted by PIBO:

(a) Establish packaging waste and sanitary waste collection points and Material Recovery Facilities (MRFs);

(b) Ensure the collection of the packaging waste and sanitary product waste from the collection points, with a frequency that is proportionate to the area covered and the volume;

(c) offer the collection of packaging waste and sanitary waste, from the entities like ULB, gram panchayats, other public authorities or third parties carrying out waste management, and provide for the collection from all entities that have made use of that offer; provide for the necessary practical arrangements for collection and transport;

(d) Ensure that the packaging waste collected from the collection points are subsequently subject to recycling in a registered facility by a recycler or its permitted end use in the designated manner and sanitary waste collected are subject to incineration as end of life disposal, in registered incineration facilities.

(2) PIBOs may ensure that the network of collection points taking into account population size, expected volume of packaging waste and sanitary waste, accessibility and vicinity to end-users, not being limited to areas where the collection and subsequent management is profitable.

(3) The entities involved in waste collection will hand over the waste for treatment and recycling or incineration for identified end uses.

(4) Voluntary collection points will hand over packaging waste as well as sanitary waste to the PIBOs or third party agencies acting on their behalf with a view to their treatment and recycling or their identified end use or incineration.

15. Fulfilment of EPR Obligations.- (1) The PIBOs shall have to provide the details of EPR certificates only from registered recyclers/processors along with the details of quantity sent for end of life disposal, by 30th June of next financial year while filing annual returns on the centralized online portal. The details provided by PIBOs and registered waste processors will be duly cross-checked. In case of difference, the lower figure would be considered towards fulfilment of EPR obligation of PIBO. The certificates shall be subject to verification by CPCB/SPCB/PCC, as the case may be.

16. Centralized Online Portal.- (1) The centralized online system for the registration as well as for filing of returns by PIBOs (quarterly/annual) and waste processors shall ensure a mechanism wherein the material balance of the packaging as well as sanitary products introduced in the market by PIBOs of packaging material and sanitary product and PIBOs in a financial year is reflected. It shall also reflect the details regarding the audit of the PIBOs as well as recyclers/other waste processors of packaging waste and sanitary waste.

(2) The centralized online portal shall provide online digital system for implementation of Extended Producer Responsibility by obligated entities including generation and exchange of EPR certificates. The implementation of Extended Producer Responsibility (EPR) under these rules shall be done through the centralized online EPR portal of plastic packaging through a different module on EPR for packaging made from glass, metal, paper and sanitary product.

(3) The SPCB / PCC shall also use the same web portal for registration of PIBO as well as recyclers/waste processors. The web portal would act as the single point data repository with respect to orders and guidelines related to implementation of EPR for packaging waste and sanitary waste. PIBOs may, if they so desire, facilitate the development of online web portal/platform.

(4) Till the online web portal module for EPR obligations under the rules is developed all activities related to implementation of EPR will be done in an offline manner.

17. Monitoring.- (1) SPCB/PCC shall submit annual report on EPR portal with respect to fulfilment of Extended Producer Responsibility by PIBOs and waste processors in the State/UT to CPCB. SPCB shall also submit annual report with respect to recyclers/processors/end of life disposal in the State/UT to CPCB by 31st July of the next year.

18. Committee for EPR under SWM Rules. (1) A committee shall be constituted by the CPCB under chairpersonship of Chairman, Central Pollution Control Board to recommend measures to MoEFCC for effective implementation of EPR including amendments to these EPR guidelines. The committee shall monitor the implementations of EPR and also take such measures as required for removal of difficulties. The Committee shall also be tasked with the guiding and supervision of the centralized online portal including approval of requisite forms/pro forma.

(2) The committee shall comprise of representatives from concerned line Ministries/Departments such as Ministry of Housing and Urban Affairs, Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Department of Drinking Water and Sanitation,; Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises; Bureau of Indian Standards, three State Pollution Control Board / Pollution Control Committee, , National Environmental Engineering Research Institute (NEERI), and three industry associations any other invitee as decided by the chair of the committee.

[F. No 18/8/2024-HSM]

Naresh Pal Gangwar, Addl. Secy.